ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0 – 01, सैक्टर – के0 पी0 –4,

ग्रेटर नौएडा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों के क्रम में वायु प्रदूषण, धुन्ध (Smog) की समस्या से निजात हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करें। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे वायु प्रदूषण (Smog) से निजात हेतु विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करें।

1. खेतों/घरों में फसलों के अवशेष (पराली) को न जलायें।
2. भवन निर्माण सामग्री/अवशेष को सडकों के किनारे ना रखा जाये।
3. ठोस अपशिष्ट (कूडा – कचरा) को सडको पर एवं सडको के किनारे न फेंका जाये
4. कूडा अपशिष्ट/प्लास्टिक (कूडा – कचरा) न जलाया जाये।
5. कूडा – कचरा प्राधिकरण की गाडी/निर्धारित स्थान/कूडादान में ही डाला जाये।
6. खुले में शौच न करें।
7. पॉलीथीन का प्रयोग न करे।
8. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सभी हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने का निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था आदेश का पालन नहीं करती है तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
9. ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सभी प्रकार की जलाव (burning) जैसे कूडा, कचरा, पत्ती, घास – फूस, अलाव, फसलों को काटने के उपरान्त उन्हें खेत में जलाना या ऐसी गतिविधी जिसमें धुआं, धूल उत्पन्न होता हो, पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
10. कोई वाहन/व्यक्ति रेत, बजरी, मिट्टी या अन्य सामग्री खुले में ढुलाई करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने एवं ऐसा करते पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 15 व 16 में किये गये प्राविधानों के अनुसार भवन निर्माण सामग्री के अवशेष सडक के किनारे/सडक पर रखे जाने पर रू0 रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट को सडक के किनारे फेके जाने तथा अपशिष्ठ को जलाये जाने की प्रत्येक घटना के लिए 5,000/– (पाँच हजार) का आर्थिक दण्ड दोषी के विरूद्ध आरोपित किया जायेगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रदूषण – जनित गतिविधियों के विषय में सूचना इस नम्बर पर दे सकते है।

जिलाधिकारी कार्यालय गौतमबुद्धनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गौतमबुद्धनगर	ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कन्ट्रोल रूम
दूरभाषः 0120 –2552552	दूरभाषः 0120 –2473300 –2514750	वाट्सअप नं0 8800882124